

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग

वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्रमांक : एफ 11-3/2015/नियम/चार
प्रति,

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2015


अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
मध्यप्रदेश शासन
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त कोषालय अधिकारी
मध्यप्रदेश ।

विषय- वित्त विभाग की अनुमति के बिना खोले गये खाते बंद किये जाने बावत् ।
संदर्भ- समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 25-6-2015.



उपरोक्त विषय में वित्त विभाग के समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 25-6-2015 के पैरा -2 (स) के मैदानी कार्यालयों में प्रयुक्तता में भ्रम की स्थिति समक्ष में आई है । अतः इस बिन्दु के आशय को स्पष्ट किया जाता है कि यह प्रावधान शासकीय कार्यालयों के द्वारा कोषालय से संव्यवहार के लिये लागू है । इस निर्देश का प्रभाव निगम/मंडल/उपक्रम/अनुदान प्राप्त संस्थाओं के द्वारा किये जाने संव्यवहारों पर नहीं होगा ।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(अनिरुद्ध मुर्कजी)
सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2015

पृ.क्रं. : एफ 11-3/2015/नियम/चार
प्रतिलिपि,

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी सह-आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल की ओर सूचनार्थ
एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(अजय चौबे)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग